पत्रांक 4676/आयु0क0उत्तरा0/प्रवर्तन/2012–13/देहरादून ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक ::26 फरवरी, 2013

–::विज्ञप्ति::–

(धारा 48(2)(ख) सपठित नियम 26(ग)(दो)(ग) सपठित नियम 55)

(1) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005– समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–48(2)(ख) एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम–2005(समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 26(ग)(दो)(ग) के अन्तर्गत यह प्राविधानित किया जाता है कि राज्य के बाहर से राज्य के अन्दर माल का आयात करने के लिए प्रयोग किये गये फार्म–XVI (मूल एवं द्वितीय प्रतियां), इन्वाइस/चालान/इसी प्रकार के अन्य प्रपत्रों को ऐसी अवधि के लिए, सुरक्षित रखा जायेगा, जो कारबार के दौरान रखे गये लेखों को सुरक्षित रखे जाने हेतु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–61 में निर्धारित है; तथा

(2) यह भी निर्धारित किया जाता है कि "आयातकर्ता" द्वारा फार्म–XVI की मूल प्रति को निम्न रीति/समय के अनुसार सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) यदि आयात तथा इस हेतु प्रयुक्त फार्म–**XVI** की सूचना, निर्धारित फार्म–**XVIII(D)**(संलग्न) में, विभागीय वैबसाइट **http://comtax.uk.gov.in** पर माल प्राप्ति के पॉच दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी गयी हो तो ऐसी दशा में प्रयुक्त फार्म–**XVI** की मूल प्रतियॉ संबंधित तिमाही(जैसी कि सावधिक रूपपत्रों के लिए निर्धारित है) की समाप्ति के अगले माह की अन्तिम तिथि तक संबंधित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।

उक्त रीति का एक बार विकल्प चुनने के उपरान्त अन्य विकल्प अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) यदि उपरोक्त उप बिन्दु (क) की रीति/ समयावधि का विकल्प नहीं चुना जाता है तो उस दशा में फार्म–**XVI** की मूल प्रतियॉ फार्म–**XVIII(D)** में सूचना सहित, माल प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर अथवा फार्म–**XVI** प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अगले प्रार्थना पत्र के साथ, जो पूर्ववर्ती हो, संबंधित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।

(ग) उक्त के होते हुए, यदि आयातकर्ता आयरन एण्ड स्टील, सीमेंट, टिम्बर अथवा खाद्य तेल का ट्रेडर हो और प्रयुक्त फार्म–**XVI** की सूचना, फार्म–**XVIII(D)** में, विभागीय वैबसाइट **http://comtax.uk.gov.in** पर माल प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाती है तो ऐसी दशा में प्रयुक्त फार्म–**XVI** की मूल प्रतियॉ माल प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अथवा फार्म–**XVI** प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अगले प्रार्थना पत्र के साथ, जो पूर्ववर्ती हो, संबंधित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।

उक्त रीति का एक बार विकल्प चुनने के उपरान्त अन्य विकल्प अनुमन्य नहीं होगा।

(घ) यदि आयातकर्ता आयरन एण्ड स्टील, सीमेंट, टिम्बर अथवा खाद्य तेल का ट्रेडर है परन्तु उपरोक्त उप बिन्दु (ग) की रीति/ समयावधि का विकल्प नहीं चुनता है तो ऐसी दशा में फार्म–**XVI** की मूल प्रतियॉ फार्म–**XVIII(D)** में सूचना सहित, माल प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर अथवा फार्म–**XVI** प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अगले प्रार्थना पत्र के साथ, जो पूर्ववर्ती हो, संबंधित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।

यह विज्ञप्ति दिनांक 01–03–2013 से प्रवृत्त होगी।

संलग्न– निर्धारित **Form-XVIII(D)/"Form-16 Declaration Sheet"** ।

(सौजन्या)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

FORM- XVIII(D)

"Form-16 Declaration Sheet"

(See Sub rule (2) (c) of rule 26 C)

01- TIN of the Dealer

02- Office Code of Sector/Range

03- Period of Information - From date ....to date...................

04- Name of the Dealer

Sl. No.	Series of Form 16	Serial of Form 16	Name of Seller/ Consignor	Address of Seller/ Consignor	State of Seller/ Consignor	Invoice No.	Invoice Date	Amount	Quantity / Weight	Description of Goods	Date on which Purchase/ Receipt Accounted for	Remarks

Declaration

I...S/o...am authorized to sign this return and I do herby declare and verify that, the information and particular given in this return are true and complete and nothing has been willfully omitted or wrongly stated and that all the required annexure and challans are enclosed/attached.

Sign. of Auth. Signatory..................................

Name of Auth. Signatory...............................

Father's Name..

Status Code of Auth. Signatory.....................

Date...............